कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी- 677 /36-बी-15(जी)/(2016-17) लखनऊःदिनांकः दिसम्बर 20 ,2016.

सेवा में,

1. मुख्य वन संरक्षक,
   वन्यजीव पूर्वी गोंडा तथा
   पश्चिमी कानपुर।
2. समस्त मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/
   वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
   उत्तर प्रदेश।

विषयः- अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत-जिला सेक्टर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि का योजनावार, जनपदवार, प्रभागवार एवं लेखा शीर्षकानुसार आवंटन।

सन्दर्भः-शासनादेश संख्या-2681/14-4-2016-32/2016 दिनांक 20-12-2016.

महोदय,

अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत-जिला सेक्टर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-923/14-4-2016-32/2016 दिनांक 27-04-2016, शासनादेश संख्या-1088/14-4-2016-32/2016 दिनांक 25-05-2016, शासनादेश संख्या-1313/14-4-2016-32/2016 दिनांक 31-05-2016, शासनादेश संख्या-1573/14-4-2016-32/2016 दिनांक 08-07-2016 तथा शासनादेश संख्या-1950/14-4-2016-32/2016 दिनांक 30-08-2016 से स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश से शासन द्वारा सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत जनपदवार प्रभागवार एवं लेखा शीर्षकानुसार रू0 606164 हजार की स्वीकृति जारी की गयी है। उक्त सन्दर्भित शासनादेश की आपकी प्रति तथा आपके वृत्त से सम्बन्धित प्रभागों तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी, अर्थ एवं संख्याधिकारी की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अपने स्तर से उक्त सन्दर्भित शासनादेश की प्रति सम्बन्धित प्रभागों तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी, अर्थ एवं संख्याधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

योजना में कराये जाने वाले कार्यों को समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जारी स्वीकृति की सी0सी0एल0 जारी कराने हेतु प्रस्ताव सीधे वित्त नियंत्रक, कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजकर सी0सी0एल0 जारी कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी- 677 (1)/36-बी-15(जी)/(2016-17), दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्य जीव विभाग, लखनऊ को उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी- (2)/36-बी-15(जी)/(2016-17), दिनांकित।

Budget Doc Copy To Cfs-14-15 (scp.Tsp)

संख्या पी- 677(2)/36-बी-15(जी)/(2016-17), दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी- 677 (3)/36-बी-15(जी)/(2016-17), दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड, रूहेलखण्ड, केन्द्रीय, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जन्तु, उत्तर प्रदेश को सन्दर्भित शासनादेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी- 677 (4)/36-बी-15(जी)/(2016-17), दिनांकित।

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक, कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संदर्भित शासनादेश की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त संलग्नक में इंगित जनपदवार प्रभागवार, आहरण एवं वितरण अधिकारीवार धनराशि की साख-सीमा अपने स्तर से सम्बन्धित निस्तारण अधिकारी को निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी- 677 (5)/36-बी-15(जी)/(2016-17), दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 सेल, उ0प्र0 लखनऊ को संलग्नक सहित विभाग की वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी- 677 (6)/36-बी-15(जी)/(2016-17), दिनांकित।

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धि प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उ0प्र0, लखनऊ।

20/12/16

संख्या-2681/14-4-2016-32/2016

प्रेषक,

मो० जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त उप वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ:दिनॉक: 20 दिसम्बर, 2016

विषय- अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत-जिला सेक्टर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि का योजनावार, जनपदवार, प्रभागवार एवं लेखा शीर्षकानुसार आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के क्रम में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या पी-595/36-बी-15(जी)/बजट (2016-17), दिनांक 30-11-2016 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत-जिला सेक्टर की सामाजिक वानिकी योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 2514082000/- के सापेक्ष शासनादेश संख्या-923/14-4-2016-32/2016, दिनांक 27-4-2016 से स्वीकृत धनराशि रू0 1071621000/- तथा शासनादेश संख्या-1088/14-4-2016-32)/2016, दिनांक 25-05-2016 से स्वीकृत धनराशि रू0 243342000/- एवं शासनादेश संख्या-1313/14-4-2016-32)/2016, दिनांक 31-05-2016 से स्वीकृत धनराशि रू0 142761000/- व शासनादेश संख्या-1573/14-4-2016-32)/2016, दिनांक 08-07-2016 से स्वीकृत धनराशि रू0 33418000/- तथा शासनादेश संख्या-1950/14-4-2016-32/2016, दिनांक 30-08-2016 से स्वीकृत धनराशि रू0 181210000/- के अतिरिक्त रू0 606164000/-(रू0 साठ करोड इक्सठ लाख चौसठ हजार मात्र) की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2016 में निहित निदेशों के अधीन आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन रखे जाने की निम्न प्रकार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- आयोजनागत जिला योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु नियोजन विभाग के अ.शा.प.सं0-9/1/35-आ-2/2015-12 दिनांक 29 नवम्बर, **2016** से जनपदवार/योजनावार परिव्यय अनुमोदित कर दिया गया है। वर्ष 2016-17 के सामाजिक वानिकी जिला योजना के अनुमोदित परिव्यय की सीमा में उक्त स्वीकृतियॉ जारी की जा रही हैं।

3- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अंतर्गत नियमावलियों में अथवा अन्य स्थायी आदेशों के

अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी०ए०-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश संख्या-सी०ए०-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 8 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5-. स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/प्रभागवार/योजनावार भौतिक लक्ष्य तथा समय सारणी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। उनके द्वारा आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाय।

6- उक्त जिला योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के नियमानुसार समुचित उपयोग हेतु संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता तथा नियमानुसार निष्पादन हेतु उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

7- आवंटित धनराशि को यदि किसी ऐसे मद पर जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका एवं बजट मैनुएल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो, बिना स्वीकृति प्राप्त किये व्यय कदापि न किया जाय।

8- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाए और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए।

9- आवंटित धनराशि के सभी बिलों चाहे वे वेतन आदि से संबधित हों अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, पर अनुदान संख्या-60 सहित सही एवं सम्पूर्ण मुख्य, उप मुख्य, लघु, उप लघु, विस्तृत शीर्षक एवं मानक मदों को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल के दाहिने ओर लाल स्याही में "आयोजनागत" शब्द अवश्य लिखा जाए, ताकि महालेखाकार उत्तर प्रदेश को सही आकड़े के पुस्तांकन में कठिनाई न हो।

10- कृपया आवंटित व्यक्तिगत रूप से यह भी सुनिश्चित करें कि इन आवंटन से आपसे सम्बन्धित प्रभाग से आहरित की गयी धनराशि की प्रगति तथा भौतिक उपलब्धियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र तथा बी0एम0-13 प्रपत्र में संकलित कर प्रत्येक माह की पॉच तारीख तक मण्डलीय

मुख्य वन संरक्षक /वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, संबंधित जोनल मुख्य वन संरक्षक तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराय दिया जाये।

11- धनराशि के आवंटन की इस प्रक्रिया को अपनाने से विभागाध्यक्ष/वन संरक्षकों के निर्धारित उत्तरदायित्व पूर्ववत बने रहेंगें। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आवंटित भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक उत्तरदायित्व होगें। अत: यह आवश्यक है कि समस्त जिला स्तरीय योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्रगति की अनुश्रवण प्रत्येक माह करते रहें तथा प्रगति से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जो प्रत्येक स्तर की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगें। वन संरक्षक/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, तथा जोनल मुख्य वन संरक्षक, यह सुनिश्चित करेगें कि आवंटित धनराशि व्यय में काई द्विरावृत्ति न हो।

12- उपरोक्त के अतिरिक्त शासन के नियोजन तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग निर्देशों को कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

13- जिला योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में क्षेत्रवार निश्चित योजना (लोकेशन स्पेसिफिक एक्शन प्लान) की प्रतियां जिला समन्वय निस्तारण अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों, आयुक्त जिला अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यह सूचना क्षेत्र व ग्राम स्तर पर भी अवश्य उपलब्ध करायी जाय, ताकि वन एवं वन्य जीव विभाग के कार्य कलापों की जानकारी जन साधारण में रहें व कार्यों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनी रहें।

14- व्यय को विभागीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तथा अनुश्रवण समय सारणी भी प्रभागीय स्तर से लेकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर तक सुनिश्चित कर ली जाय।

15- पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने हेतु अधिकारों, दायित्वों एवं कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के परती भूमि विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-406/14-प०भू०वि०/99-3/99, दिनॉक 19-03-1999 के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए।

16-. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में प्रतिनिहित अधिकारों तथा निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

/

(मो० जुनीद)

संयुक्त सचिव।

संख्या-2681(1)/14-4-2016-32/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तथा केन्द्रीय भवन दसवां तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8. मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी, दक्षिणी, केन्द्रीय, बुन्देलखण्ड, रूहेलखण्ड, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, पश्चिमी, वन्यजीव, पूर्वी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता अपने स्तर से सुनिश्चित करायें।
9. समस्त वन संरक्षक/समस्त क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संलग्नकों में इगिंत जनपदवार प्रभागवार, आहरण एवं वितरण अधिकारीवार संशोधित धनराशि की साख-सीमा अपने स्तर से सम्बन्धित निस्तारण अधिकारियों को निर्गत करने का कष्ट करें।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2 (नियोजन विभाग).
14. वित्त (व्यय-नियंत्रण, अनुभाग-7)/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1).
15. वन एवं वन्य जीव अनुभाग-1, 2, 3 तथा 5.
16. निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र, लखनऊ।
17. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)

संयुक्त सचिव।

मुख्य वन संरक्षक /वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, संबंधित जोनल मुख्य वन संरक्षक तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराय दिया जाये।

11- धनराशि के आवंटन की इस प्रक्रिया को अपनाने से विभागाध्यक्ष/वन संरक्षकों के निर्धारित उत्तरदायित्व पूर्ववत बने रहेंगें। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आवंटित भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक उत्तरदायित्व होगें। अत: यह आवश्यक है कि समस्त जिला स्तरीय योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्रगति की अनुश्रवण प्रत्येक माह करते रहें तथा प्रगति से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जो प्रत्येक स्तर की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगें। वन संरक्षक/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, तथा जोनल मुख्य वन संरक्षक, यह सुनिश्चित करेगें कि आवंटित धनराशि व्यय में काई द्विरावृत्ति न हो।

12- उपरोक्त के अतिरिक्त शासन के नियोजन तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग निर्देशों को कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

13- जिला योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में क्षेत्रवार निश्चित योजना (लोकेशन स्पेसिफिक एक्शन प्लान) की प्रतियां जिला समन्वय निस्तारण अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों, आयुक्त जिला अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यह सूचना क्षेत्र व ग्राम स्तर पर भी अवश्य उपलब्ध करायी जाय, ताकि वन एवं वन्य जीव विभाग के कार्य कलापों की जानकारी जन साधारण में रहें व कार्यों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनी रहें।

14- व्यय को विभागीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तथा अनुश्रवण समय सारणी भी प्रभागीय स्तर से लेकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर तक सुनिश्चित कर ली जाय।

15- पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने हेतु अधिकारों, दायित्वों एवं कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के परती भूमि विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-406/14-प०भू०वि०/99-3/99, दिनॉक 19-03-1999 के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए।

16-. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में प्रतिनिहित अधिकारों तथा निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(मो० जुनीद)

संयुक्त सचिव।

संख्या-2681(1)/14-4-2016-32/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तथा केन्द्रीय भवन दसवां तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8. मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी, दक्षिणी, केन्द्रीय, बुन्देलखण्ड, रूहेलखण्ड, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, पश्चिमी, वन्यजीव, पूर्वी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता अपने स्तर से सुनिश्चित करायें।
9. समस्त वन संरक्षक/समस्त क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संलग्नकों में इगिंत जनपदवार प्रभागवार, आहरण एवं वितरण अधिकारीवार संशोधित धनराशि की साख-सीमा अपने स्तर से सम्बन्धित निस्तारण अधिकारियों को निर्गत करने का कष्ट करें।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2 (नियोजन विभाग).
14. वित्त (व्यय-नियंत्रण, अनुभाग-7)/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1).
15. वन एवं वन्य जीव अनुभाग-1, 2, 3 तथा 5.
16. निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र, लखनऊ।
17. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या 2681/14–4–2016–32/2016 दिनांक 20.12.2016 का संलग्नक

संलग्नक–1

योजना–सामाजिक वानिकी योजना (जिला योजना)

चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के व्यय हेतु अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन

अनुदान संख्या–60 के पूँजी लेखा के लेखाशीर्षक–4406–वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–01–वानिकी–102–समाज तथा फार्म वानिकी– 03–सामाजिक वानिकी (सी0सी0एल0)(जिला योजना)– 24–वृहत् निर्माण कार्य

(रु0 हजार में)

क0 सं0	मण्डल/जनपद/प्रभाग का नाम		परिव्यय	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	अतिरिक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि
	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम				
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	आगरा	86873	17901	7740	25641
		चम्बल पशु विहार		117		117
2	मैनपुरी	मैनपुरी	2041	1571	470	2041
3	मथुरा	मथुरा	26450	10000	5860	15860
4	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	98690	31777		31777
	योग आगरा मण्डल		**214054**	**61366**	**14070**	**75436**
5	अलीगढ.	अलीगढ.	23944	13228	3818	17046
6	हाथरस	हाथरस	29178	13741	2802	16543
7	एटा	एटा	14582	11711	1023	12734
8	कासगंज	कासगंज	20875	11575	1156	12731
	योग अलीगढ. मण्डल		**88579**	**50255**	**8799**	**59054**
9	बरेली	बरेली	29425	11561	5239	16800
10	बदायूं	बदायूं	29940	16718	4710	21428
11	पीलीभीत सा0वा0	पीलीभीत सा0वा0	9259	3844	827	4671
		पीलीभीत टा0रि0		4588		4588
12	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	57725	39435	6516	45951
	योग बरेली मण्डल		**126349**	**76146**	**17292**	**93438**
13	मेरठ	मेरठ	14048	6787	2587	9374
14	बागपत	बागपत	9119	4001	1823	5824
15	गाजियाबाद	गाजियाबाद	3075	1668	1407	3075
16	हापुड	हापुड	12125	10297	1828	12125
17	गौतमबुद्ध नगर	गौतमबुद्ध नगर	4736	3326	1410	4736
18	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	12600	11333	1267	12600
	योग मेरठ मण्डल		**55703**	**37412**	**10322**	**47734**
19	सहारनपुर	सहारनपुर	5965	112	697	809
		शिवालिक		4648	508	5156
20	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	7042	3994	3048	7042
21	शामली	शामली	5997	3968	2029	5997
	योग सहारनपुर मण्डल		**19004**	**12722**	**6282**	**19004**
22	मुरादाबाद	मुरादाबाद	6802	2651	1479	4130
23	सम्भल	सम्भल	6350	5805	545	6350
24	अमरोहा	अमरोहा	26453	22414	4039	26453
25	रामपुर	रामपुर	9376	4647	1685	6332

क्र0 सं0	मण्डल / जनपद / प्रभाग का नाम		परिव्यय	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	अतिरिक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि
	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम				
1	2	3	4	5	6	7
26	बिजनौर	बिजनौर	64339	12368	3457	15825
		नजीबाबाद		17770	8727	26497
	योग मुरादाबाद मण्डल		**113320**	**65655**	**19932**	**85587**
27	वाराणसी	वाराणसी	3352	2163	1189	3352
28	चंदौली	काशी वन्य जीव	90564	36420	28594	65014
29	गाजीपुर	गाजीपुर	28509	11712		11712
30	जौनपुर	जौनपुर	54986	19099	12785	31884
	योग वाराणसी मण्डल		**177411**	**69394**	**42568**	**111962**
31	संतरविदास नगर भद	संतरविदास नगर भदोही	8354	5748	928	6676
32	मिर्जापुर	मिर्जापुर	30877	24407	3351	27758
		कैमूर वन्यजीव		2779	340	3119
33	सोनभद्र	सोनभद्र	148538	45720	2911	48631
		कैमूर वन्यजीव		2469		2469
		रेनुकूट		48460	2583	51043
		ओबरा		43812	2583	46395
	योग विन्ध्याचल मण्डल		**187769**	**173395**	**12696**	**186091**
34	गोरखपुर	गोरखपुर	96408	12444	10576	23020
35	महराजगंज	सोहागीबरवा वन्यजीव	32162	16764	0	16764
		गोरखपुर		3893	4099	7992
36	देवरिया	देवरिया	17100	14031	1093	15124
37	पडरौना(कुशीनगर)	पडरौना(कुशीनगर)	45438	8939	8986	17925
	योग गोरखपुर मण्डल		**191108**	**56071**	**24754**	**80825**
38	बस्ती	बस्ती	87644	28924	13223	42147
39	संतकवीर नगर	संतकवीर नगर	132051	30590	8112	38702
40	सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर	34359	28398	2124	30522
	योग बस्ती मण्डल		**254054**	**87912**	**23459**	**111371**
41	आजमगढ.	आजमगढ.	8689	8689		8689
42	मऊ	मऊ	25249	5439	7057	12496
43	बलिया	बलिया	34347	16910	6212	23122
	योग आजमगढ़ मण्डल		**68285**	**31038**	**13269**	**44307**
44	इलाहाबाद	इलाहाबाद	57022	42388	6392	48780
45	कौशाम्बी	कौशाम्बी	12884	12884		12884
46	फतेहपुर	फतेहपुर	5626	5049	577	5626
47	प्रतापगढ.	प्रतापगढ.	19765	6867	4595	11462
	योग इलाहाबाद मण्डल		**95297**	**67188**	**11564**	**78752**
48	लखनऊ	लखनऊ	31143	7775	23368	31143
49	रायबरेली	रायबरेली	50000	45251	4749	50000
50	हरदोई	हरदोई	38956	20744	6488	27232
51	उन्नाव	उन्नाव	55616	19166	12985	32151
52	सीतापुर	सीतापुर	54742	39275	7193	46468
53	खीरी	उत्तरी खीरी	48356	14161	8994	23155
		दक्षिणी खीरी		13186	12015	25201
	योग लखनऊ मण्डल		**278813**	**159558**	**75792**	**235350**

क0 सं0	मण्डल/जनपद/प्रभाग का नाम		परिव्यय	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	अतिरिक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि
	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम				
1	2	3	4	5	6	7
54	फैजाबाद	फैजाबाद	60000	40376	6991	47367
55	अम्बेडकर नगर	अम्बेडकर नगर	57328	36158	10428	46586
56	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	94410	31849	22287	54136
57	अमेठी	अमेठी	75000	36639	18643	55282
58	बाराबंकी	बाराबंकी	74365	33535	14546	48081
	योग फैजाबाद मण्डल		**361103**	**178557**	**72895**	**251452**
59	गोन्डा	गोन्डा	50338	20711	10555	31266
60	बलरामपुर	सोहेलवा वन्य जीव	34451	5216	5051	10267
		गोन्डा		6021	3960	9981
61	श्रावस्ती	श्रावस्ती	122339	39650	16804	56454
62	बहराइच	बहराइच	41881	31468	3719	35187
		कतरनियांघाट वन्य जीव		317		317
	योग देवीपाटन मण्डल		**249009**	**103383**	**40089**	**143472**
63	कानपुर नगर	कानपुर	45432	30998		30998
64	कानपुर देहात	कानपुर देहात	106887	12056	33783	45839
65	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	26100	14387	11713	26100
66	कन्नौज	कन्नौज	8697	8640	57	8697
67	औरैया	औरैया	8733	8733		8733
68	इटावा	इटावा	7200	5043	768	5811
	योग कानपुर मण्डल		**203049**	**79857**	**46321**	**126178**
69	झांसी	झांसी	40379	35860	4519	40379
70	ललितपुर	ललितपुर	68257	58667	9590	68257
71	जालौन	जालौन	152568	46004	37198	83202
	योग झांसी मण्डल		**261204**	**140531**	**51307**	**191838**
72	हमीरपुर	हमीरपुर	147505	63790	46486	110276
73	महोबा	महोबा	123413	65201	11572	76773
74	बांदा	बांदा	64516	36979	27537	64516
75	चित्रकूट	चित्रकूट	94337	53472	25758	79230
		कैमूर वन्यजीव प्रभाग		2470	3400	5870
	योग चित्रकूट धाम मण्डल		**429771**	**221912**	**114753**	**336665**
	कुल योग		**3373882**	**1672352**	**606164**	**2278516**

(रू0 साठ करोड.इकसठ लाख चौसठ हजार मात्र)

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव